

फर्द अहकाम

APP-A
Crim-1

अज अदालत.....

(नियम 26)

.....भोमाराम वगैराह

.....मुकाम.....

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

.....बनाम.....

.....मोटाराम वगैराह.....

नं. सन 2023

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील मे जारी
हुए

20/04/15

प्रार्थी भोमाराम वगैराह की ओर से वकील श्री डालूराम चौधरी उपस्थित होकर यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की ईकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 27/06/23 को पेश हो।

20/04/23

27/06/23

पत्रावली के रूप में प्रार्थीगण को पेश
हुई। पत्रावली मूल वाद के लिए
ठाहरी 04/08/23 को पेश हुई

सहायक कलेक्टर
(SDO), वाडमेर

सहायक कलेक्टर
(SDO), वाडमेर

11/08/23

पत्रावली पेश हुई। अधिकता प्रार्थी उपस्थित।
अधिकता अप्रार्थी उप। प्रार्थीगण को आवेदन
पेश हुई। न्यायालय समुप तक प्रार्थीगण
की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः
प्रार्थी की आवेदन में क्वि प्रतीत नहीं होती
प्रार्थी का आवेदन अदत प्रार्थी, अदत
पैरवी में खासिय किया जाता है। पत्रावली
कैसल कुमार होकर वापिस फर्क दी

सहायक कलेक्टर
(SDO), वाडमेर